



7A

# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्बन्धन/332/12  
दिनांक: 30/3/12

सेवा में,  
सचिव/प्रिंसिपल/निदेशक,  
सिम्बौजिया कालेज,  
महाराजी बाग, बोदला, आगरा।

महोदय,

अनुसूचि, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सखनऊ के पत्र संख्या सम्ब०-131/सतर-2-2011-2(32)/2010 सखनऊ दिनांक 07 जुलाई, 2011 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2007) की धारा 37(2) के अधीन आपके महाविद्यालय को स्वयंसेवित पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संवर्धनार्थक 400 एडो पाठ्यक्रम में (100 सीट) में शैक्षणिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2011-12 हेतु संवर्धन की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है तब ही परीक्षाफल घोषित हो जाने पर सत्र 2011-12 से संवर्धन को (स्थायी) की पूर्वानुमति मानते हुये उक्त पत्र में उल्लिखित चार शर्तों के अधीन 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्थायी संवर्धन प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्वर्धित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में संवर्धन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धन शासन के उक्त पत्र दिनांक 07 जुलाई, 2011 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करेगी।

1. संस्था शासनदेश संख्या-2851/सतर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समग्र-समग्र पर निर्गत शासनदेशों का पालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा 400 एडो पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनदेश के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अर्थात्परी के माध्यम से ही भरा जावेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जावेगा।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणामावली/अध्यदेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जावेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी संवर्धन वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

यदि प्रबन्धन शासन के उक्त वर्णित पत्र में द्वािगत कर्मियों को सम्यन्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई संवर्धन वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।  
उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

*Anshu*  
सहायक कुलसचिव (सम्बन्धन)  
333/12

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, सेवा।
- 2-निजी सचिव कुलसचिव।
- 3-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालुगंज, आगरा।
- 4-अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

*Anshu*

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धन)